न्यायालय जिला कलेक्टर एंव प्रथम अपील अधिकारी ,टोंक

प्रकरण संख्या 32/2019

ओम प्रकाश सैनी पुत्र हीरालाल सैनी वार्ड न0 1 टोंक रोड उनियारा जिला टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी, जिला टोक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 30–10–2019**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी को दिनांक 07–08–2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी।

1–श्री राजेंद्र कुमार गोयल (अग्रवाल जैन) पुत्र श्री मदन लाल गोयल निवासी ग्राम आंवा,दूनी तहसील देवली जिला टोंक राज0 हाल निवासी आजाद नगर, भीलवाड़ा

2–श्री चन्द्र प्रकाश गोयल (अग्रवाल जैन) पुत्र श्री पदम कुमार गोयल निवासी ग्राम आंवा,दूनी तहसील देवली जिला टोंक राज0 हाल निवासी आजाद नगर, भीलवाड़ा

उपरोक्त सदस्यों की खसरा संख्या 1666 एवं 1904 की प्रति संलग्न के आधार पर निम्नानुसार जानकारी अपेक्षित है जो इस प्रकार है

(अ) श्री पदम् कुमार गोयल उर्फ महाजन उर्फ अग्रवाल (जैन) पुत्र श्री मदन लाल गोयल का श्री राजेंद्र कुमार गोयल उर्फ महाजन उर्फ अग्रवाल (जैन) पुत्र श्री मदन लाल गोयल से पारिवारिक संबंध

(ब) श्री चन्द्र प्रकाश गोयल उर्फ महाजन उर्फ अग्रवाल (जैन) पुत्र श्री पदम कुमार गोयल उर्फ महाजन उर्फ अग्रवाल (जैन) पुत्र श्री मदन लाल गोयल से पारिवारिक संबंध

कृपया उपरोक्त तीन पूर्व पीढियों की शाखा से सम्बन्धित आपसी पारिवारिक सम्बन्ध सहित उक्त जानकारी देने की कृपा करें।

अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना

Scanned by CamScanner

अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी से अपीलार्थी को सूचना नहीं देने के संबंध मे जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी ने उनके पत्र कमांक 1586 दिनांक 25–10–2019 से अवगत करवाया है कि आवेदक द्वारा चाही जा रही सूचना का रिकार्ड तहसील कार्यालय में संधारित नहीं किया जाता है इस कारण सूचना दिया जाना संभव नहीं है। पत्र की प्रति आवेदक को भी दी गई है। अतः अपील मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(के0के0शर्मा)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2019.11.22 12:18:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: